निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–150/2013
दायरा दिनांक :– 17.09.2013
निर्णय दिनांक :– 20.7.23

उनवान

देवकीनन्दन पुत्र विद्याधर जाति गौतम ब्राह्मण निवासी कोयला तहसील बारां जिला बारां राज0

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र अमरलाल जाति माली निवासी कोयला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बारां जिला बारां, राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92एवम् 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 20.7.23

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री बी. एल. जैन एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवम् 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कोयला तहसील बारां में खसरा नं0 466 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 2961 रकबा 0.42 हे0, खसरा नं0 2966 रकबा 1.02 हे0 कुल तीन किता रकबा 1.58 हे0 भूमि स्थित है। जिसकी खेवट खतौनी सं0 392 है जो सम्वत् 2052–2060 की जमाबन्दी में प्रतिवादी क्रम 1 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज थी। ग्राम कोयला में ही खसरा नं0 3000 रकबा 0.81 हे0 व खसरा नं0 3027 रकबा 0.84 हे0 भूमि कुल दो किता रकबा 1.65 हे0 भूमि स्थित थी खेवट खतौनी सं0 567 थी। यह भूमि राजस्व कागजात में मथुरी बाई पत्नी जगन्नाथ कौम माली के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज है। ग्राम कोयला तहसील बारां में खसरां नं0 243 रकबा 1.00 हे0 व खसरा नं0 244 रकबा 2.26 हे0 खेवट खतोनी सं0 773 कुल दो किता रकबा 3.26 हे0 भूमि स्थित थी जो सम्वत् 2057–2060 की जमाबन्दी में शंकरी बेवा नेनगा, बाबूलाल मोहनलाल पन्नालाल पिसरान नेनगा, सुल्तान बाई पुत्री नेनगा, प्रभु लेखराज पिसरान अमरलाल (जिसमें प्रभू प्रति[illegible] 1 है) चन्द्रकांती पुत्री अमरलाल, कैलाशी पुत्री जगन्नाथ, मथुरी बेवा [illegible] दर्ज है कोयला तहसील बारां में 4 किता खेवट खतोनी सं0 393 रकबा 0.51 हे0 भूमि स्थित है जो राजस्व कागजात में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी क्रम 1 व लेखराज पुत्र अमरलाल माली के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज है। उपरोक्त मद नं0 1 ता 4 में वर्णित भूमियों में से खसरा नं0 2961 रकबा 0.42 हे0, खसरा नं0 2966 रकबा 1.02 हे0 कुल दो किता रकबा 1.44 हे0 भूमि ही विवादित है तथा इसी भूमि के लिए ये वाद पेश किया जा रहा है उपरोक्त दोनों नम्बरान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदार कृषक दर्ज है तथा वादी के साथ साथ राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 2 का नाम बतोर रहन अंकन है। मद नं0 5 में वर्णित भूमिया प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी को दिनांक 12.06.2000 को 80,000/— अक्षरे अस्सी हजार में बेचान करके कब्जा दिया एवं बेचान नामा 100/— रू के दो किता स्टाम्प व एक पिटीशन पेपर पर संपादित करवाया। जिसको पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित करवाया। उस दिन ये भूमि तनहा रूप से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज थी। इस पर उस दिन तक प्रतिक्रम 2 का रहन का अंकन नहीं था।

वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से मद नं0 5 में वर्णित भूमियों का रजिस्टर्ड बेचान नामा वादी के नाम निष्पादित करने के लिए निवेदन किया तो उसने बेचान नामा निष्पादित नहीं करवाया तब वादी ने प्रतिवादी क्रम एक के विरूद्ध अनुबन्ध की विशिष्ट पालना का वाद न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोय, बारां में दायर किया। वह मुकदमा वहां से अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां में मुन्तकिल हो गया तथा 21.03.2006 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) बारां ने मुकमा सं0 24/2004 से उक्त भूमिया वादी के नाम रजिस्ट्री करवाने का आदेश किया। इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध इजराय पेश की एवं इजराय की पालना में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) बारां ने उक्त भूमियों का बयनामा वादी के नाम निष्पादित करवाया जिस पर इन्तकाल नं0 1330 दिनांक 21.08.2009 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 2 किता रकबा 1.44 हे0 खसरा नं0 2966 रकबा 1.02 हे0 व खसरा नं0 3671/2961 रकबा 0.42 हे0 कुल दो किता रकबा 1.44 हे0 भूमि वादी के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज की गयी किन्तु इस पर स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर प्रतिवादी क्रम 2 का रहन का अंकरन जारी रखा गया है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 से रूपये 3,65,000/— का ऋण लिया था। यह ऋण प्रतिवादी क्रम 1 ने वाद पत्र की मद नं0 1 लगायत 4 में वर्णित भूमियों पर प्रतिवादी क्रम 1 सहित उपरोक्त मदों में वर्णित सभी खातेदारों में संयुक्त रूप से लिया था। और उस पर इंतकाल नं0 876 दिनांक 12.12.2001 को तस्दीक किया था इससे पूर्व 12.06.2000 को प्रतिवादी क्रम 1 उपरोक्त भूमियों में से खसरा नं0 2966 रकबा 1.02 हे0, खसरा नं0 2961 रकबा 0.42 हे0 कुल दो किता रकबा 1.44 हे0 भूमि वादी को बेचान कर चुका था। जिसका इकरार नामा बेचान लिखा चुका था। तथा कब्[illegible] को दे चुका था। इस कारण 12.06.2000 के बाद उपरोक्त भूमियों को प्रतिवादी क्रम 2 [illegible] रहन रखने का उसको कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

अधिकार हासिल नहीं था और यदि उसने उपरोक्त दोनों नं0 वादी को बेचान कर दिये जिसकी डिक्री न्यायालय द्वारा जारी हो चुकी है एवं न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचान नामा करवाके नामान्तरकरण दर्ज करवाया जा चुका है तो प्रतिवादी कम एक का जो ऋण है उसको प्रतिवादी कम 2 द्वारा वादी से वसूल करने का अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी कम 2 के पास प्रतिवादी कम 1 की अन्य भूमियां भी गिरवी रखी हुई है। उनसे वसूल वसूल करने का अधिकार है इस प्रकार जो नोट राजस्व कागजात में प्रतिवादी कम 2 का अंकन है, व वादी निरस्त करा पाने का अधिकारी व नालिशी है। वादी ने दिनांक 13.05.2013 को प्रतिवादी कम 3 के विधिक प्रतिनिधि जिला कलक्टर बारां का नोटिस धारा 80 जा0दी0 का दिलवाया। जिसकी मियाद 13.07.2013 को समाप्त हो गई किन्तु उन्होंने कोई सहायता नहीं पंहुचाई। अतः भू धारक होने के कारण प्रतिवादी कम 3 को पक्षकारान बनाया गया है वादग्रस्त भूमियों पर ऋण प्रतिवादी कम 1 ने प्राप्त किया। तथा वादी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है। तथा प्रतिवादी कम 1 द्वारा ऋण लेने से पूर्व वादग्रस्त भूमियां वादी के पास बेचान थी। इस कारण पूर्व बेचान की गई सम्पत्ति को प्रतिवादी कम 1 को रहन रखने का अधिकार नहीं है। तथा जिस व्यक्ति ने रहन रखी है। उसके पास अन्य भूमियां भी रहन रखी हुई है इस कारण प्रतिवादी कम 2 को वादी की वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमियों से ऋण प्राप्त करने का अधिकार है जबकि प्रतिवादी कम 2 वादी की विवादित भूमियों से अपने नाम रहन नहीं हटवा रहे है। जबकि उनको अपना नाम हटवा लेना चाहिए ताकी प्रतिवादी कम 2, प्रतिवादी कम 1 की अन्य भूमियों से ऋण वसूल कर सके एवं वादी अपने भूमियों को किसी अन्य बैंक के पास रहन रख कर ऋण प्राप्त कर सके अतएव वादह खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी कम 2 अपने ऋण की वसूली के लिए वादी की वादग्रस्त भूमियों से ऋण वसूल नहीं करें। वाद कारण दिनांक 13.05.2013 को नोटिस देने नीज दिनांक 13.07.2013 को मियाद नोटिस समाप्त होने पर बमुकाम बारां तहसील बारां उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं होने के कारण उनका जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2057–60, नकल नामा0 सं0 876 ग्राम कोयला,जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2069–72, खाता सं0 502, नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2057–60 खाता सं0 776, जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2069–72, खाता सं0 661, 497, जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2065–68, खाता सं0 481 जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2069–72 खाता सं0 545, नकल आदेश दिनांक 21.03.2006 माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय बारां, नकल राजीनामा प्रकरण सं0 24/04

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

…ान देवकीनन्दन बनाम प्रभूलाल, नकल इकरारनामा बेचान दिनांक 12.06.2000 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में pw1 देवकीनन्दन के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वाद द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला के खसरा नं0 2961 रकबा 0.42 हे0 खसरा नं0 2966 रकबा 1.02 हे0, कुल दो किता रकबा 1.44 हे0 भूमि वादी के नाम खातेदार कृषक दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी कम 2 का नाम बतौर रहन अंकन है। प्रतिवादी कम 1 ने वादी को दिनांक 12.06.2000 को अस्सी हजार रूपये में बेचान करके कब्जा दिया बेचान नामा 100/– के दो स्टाम्प व एक पिटीशन पेपर पर लिखवाया था जिसे नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया उस समय भूमि पर रहन दर्ज नहीं था। प्रतिवादी द्वारा जिस भूमि को बेचान वादी को कर दिया उसको हरन रखने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी द्वारा दोनों खसरा नं0 वादी को बेचान किये उन नम्बरान की डिकी न्यायालय द्वारा जारी हो चुकी है न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचान नामा करवा के नामा0 दर्ज करवाया जा चुका है प्रतिवादी कम 1 को जो ऋण है उसे प्रतिवादी कम 2 वादी से वसूल करने का अधिकार नहीं है प्रतिवादी कम 2 के पास प्रतिवादी कम 1 की अन्य भूमियां गिरवी रखी हुई है उनसे वसूल करने का अधिकार है। विवादित भूमियां बैंक से ऋण लेने से पूर्व वादी के पास थी। प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजी पर ऋण लेने का कोई अधिकार नहीं है। वादी की भूमि पर लगा रहन का नोट हटाया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 की अन्य भूमि से ऋण की वसूली की जावे। वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2057–60 खाता सं0 392 में प्रभूलाल पुत्र अमरलाल जाति माली सा0 देह का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2069–72, खाता सं0 502 प्रतिवादी कम 1 प्रभूलाल के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2057–60 खाता सं0 773 प्रभूलाल का नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2069–72, खाता सं0 661 में मथुरी बाई पत्नी जगन्नाथ का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2069–72, खाता सं0 497 में प्रभूलाल पुत्र अमरलाल जाति माली सा0 देह का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2065–66 खाता सं0 481में प्रभूलाल पुत्र अमरलाल जाति माली सा0 देह का नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी के कॉलम नं0 11 से 17 में नामा0 सं0 1330 दिनांक 21.08.2009 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा नं0 2966 रकबा 1.02 हे0, खसरा नं0 3671/2961 रकबा 0.42 हे0 कुल दो किता रकबा 1.44 हे0 पर केता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

...कीनन्दन पुत्र विद्याधर का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है तथा रहन SBBSयथावत रहेगा का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2069—72 खाता सं0 345 में देवकीनन्दन पुत्र विद्याधर जाति ब्राह्मण सा0 देह रहन SBBSशाखा बारां दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 द्वारा लोन लेकर बैंक में रहन रखी है जिसे चुकाने का प्रतिवादी कम 1 का अधिकार है। वादी उक्त ऋण को चुाकाने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी कम 2 शाखा प्रबन्धक SBI शाखा बारां प्रतिवादी कम 1 की अन्य भूमि से ऋण प्राप्त करने के अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला तहसील बारां के खसरा नं0 2966 रकबा 1.02 हे0, खसरा नं0 3671/2961 रकबा 0.42 हे0 कुल दो किता रकबा 1.44 हे0 से रहन नोट हटाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है प्रतिवादी कम 2 जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है वादी की भूमि के अलावा अन्य भूमियों से अपना ऋण वसूल करें। तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

150/2013	धारा अंतर्गत 88, 89, 90, 91 RTA	निर्णय दिनांक 20-7-23

पीठासीन अधिकारी- श्री दिव्यांशु शर्मा RAS उपखण्ड अधिकारी बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

देवकीनंदन पुत्र शिवचंद जाति गौतम ब्राह्मण नि० कोयला तह० बारां

बनाम

1. उदयलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी कोयला तह० बारां
2. प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा बारां
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाकेआन कोयला तह० बारां के ख०नं० 2966 रकबा 1.02 हे० ख०नं० 3671/2961 रकबा 0.42 हे० कुल 2 किता रकबा 1.44 हे० है रहन नोट ख़ारिज हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है और वादी कुल 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी की भूमि के सम्बन्ध अन्य प्रक्रिया के अपना व्यय वहन करें तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

.... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

साथ ही नियमानुसार ....

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 20-7-23 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बारां

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		

Scanned with CamScanner